हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	
22.11.19	पत्रावली पेश हो। अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक को पेश हो। 20.12.19
20.12.19	उभय पक्ष [illegible] पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से [illegible] [illegible] पर है / [illegible] [illegible] पेश हो। अतः पत्रावली [illegible] 7.2.20 उपखण्ड अधिकारी माण्डल
7.2.20	पत्रावली पेश हुई, वकुलाय फरिकेन उपस्थित, उभयपक्ष प्रा.पत्र 07 R11 धारा 151 जा.दी० पर बहस आयन्दा करना चाहते है। बहस हेतु अन्तिम अवसर दिया जाता है। वास्ते पत्रावली मे प्रा.पत्र 07 R11 धारा 151 जा.दी० पर बहस हेतु दिनांक 28.2.20 को पेश हो।
28.2.20	पत्रावली पेश हुई, वकुलाय फरिकेन उपस्थित, उभयपक्ष प्रा.पत्र 07 R11 धारा 151 जा.दी० पर बहस करनी चाही। उभयपक्षो की बहस सुनी गयी। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 5.3.20 को पेश हो।
5.3.20	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, उभयपक्षो की विगत पेशी पर हुई बहस के दौरान प्रतिवादी सं. 1, 2 के अधिवक्ता मे अपने प्रार्थना पत्र 07 R11 धारा 151 जा.दी० मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादिया ने अपने वादपत्र के चरण सं. 3 मे अपने नाम दर्ज भूमि पर काबिज हो, उपयोग उपभोग करने का कथन अंकित किया है ऐसी स्थिति मे वादिया प्रतिवादीगण के विरुद्ध कब्जेयाबी का कोई अनुतोष प्राप्त करने

(R.A. Agarwal)

उपखण्ड अधिकारी

के अधिकारी नहीं है साथ ही प्रतिवादीगण ने कब
व कौनसी दिनांक को वादिया की भूमि पर कब्जा
किया है ऐसी कोई दिनांक अंकित नहीं की है।
व कोई वाद कारण कब उत्पन्न हुआ अंकित नहीं
है ऐसी स्थिति मे वाद कारण के अभाव मे भी वादिया
का वादपत्र खारीज किये जाने योग्य है साथ ही
प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस के
दौरान यह तथ्य भी बताया है कि प्रस्तुत वाद
पत्र पावर ऑफ अटौर्नी होल्डर श्री रामावतार अग्रवाल
द्वारा प्रस्तुत किया है परन्तु वादपत्र प्रस्तुत करते
समय वादपत्र के साथ वादिया श्रीमती उषा मानसिंह
का द्वारा श्री रामावतार अग्रवाल के पक्ष मे निष्पादित
पावर ऑफ अटौर्नी पेश नहीं की है बल्कि कृष्णकुमार
द्वारा निष्पादित पावर ऑफ अटौर्नी पेश की है तथा
कृष्णकुमार न तो वादग्रस्त आराजी का खातेदार
है व नहीं उसकी पावर ऑफ अटौर्नी से रामावतार
अग्रवाल को कोई वादपत्र प्रस्तुत करने का अधिकार
है ऐसी स्थिति मे वादिया का वादपत्र खारीज
किये जाने योग्य है इसके विपरीत वादिया
के अधिवक्ता ने प्रतिवादीगण के अधिवक्ता के
कथनो का पुर जोर विरोध करते हुए अपने
जवाब मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन
किया कि प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र मे वर्णित
तथ्य 07 R 11 धारा 151 जा. दि० के प्रावधानो
के तहत नहीं आते है व वादिया द्वारा अपनी
आराजी की पत्थरगढी के दौरान 03 बिस्वा भूमि
पर प्रतिवादीगण का कब्जा होना जाहिर होने से यह
वादपत्र प्रस्तुत किया है साथ ही भूलवश कृष्ण
कुमार मानसिंह का द्वारा जारी पावर ऑफ अटौर्नी
पेश की गई थी जिसकी जानकारी होने पर जवाब

उपखण्ड अधिकारी

के साथ श्रीमती उषा मानसिंह द्वारा निष्पादित पावर आफ अर्टोनी पेश है। अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे।

मैंने उभयपक्षो की बहस सुनी एवं पत्रावली तथा पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया तो जाहिर आया कि वादिया ने वाद पत्र मे प्रतिवादीगण द्वारा कब व किस दिनांक को वादिया की आराजी पर कब्जा किया का स्पष्ट उल्लेख नही है व कोई वाद कारण भी उत्पन्न होना जाहिर नही होता है एवं साथ श्री रामावतार अग्रवाल द्वारा पावर आफ अर्टोनी के जरिये वाद पत्र प्रस्तुत करते समय खातेदार श्रीमती उषा मानसिंह का हारा निष्पादित कोई पावर आफ अर्टोनी प्रस्तुत नही की है ऐसी स्थिति मे वादिया का वादपत्र खारीज किया जाना उचित समझता हूँ। वादिया द्वारा जवाब के साथ जो पावर आफ अर्टोनी प्रस्तुत की है उसके अवलोकन से भी यह स्पष्ट नही होता है कि वादिया ने श्री रामावतार अग्रवाल को वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध मे ही यह पावर आफ अर्टोनी दी हो क्यो कि उक्त पावर आफ अर्टोनी मे किसी भी ग्राम या सम्पति या खसरा नं. का अंकन नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादिगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 07 R11 धारा 151 जा.दी० स्वीकार किया जाकर वादिया का वाद पत्र खारीज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा